२०२१/७१

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट | **बनाम** | **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री अमृतलाल रावल पुत्र श्री मोहनलाल
जाति रावल
निवासी रावल वास असावा तहसील रेवदर
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 31 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.04.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 28.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम असावा में 2008 से 2020 तक ग्रामदानी ग्रामसभा असावा द्वारा जमीन आवंटन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 28.12.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि ग्राम असावा में 2008 से 2020 तक ग्रामदानी ग्रामसभा असावा द्वारा जमीन आवंटन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि सूचना ग्रामदानी ग्राम असावा से सम्बन्धित होने के कारण अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 117–118 दिनांक 02.02.2021 को अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम असावा को लिखा गया था। अध्यक्ष ग्रामदानी ग्राम असावा के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal Date: 2021.05.27 12:19:44 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with CamScanner